

शेख इकराम शेख इजरायल और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

12 अप्रैल, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.]

पर्यावरण कानून-ध्वनि प्रदूषण- स्थानीय निवासियों द्वारा अपने घरों में पीतल के बर्तनों का निर्माण -जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है-गतिविधियों को रोकने के लिए नोटिस जारी करना- निर्माताओं द्वारा रिट याचिका खारिज की गई। की गई अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि: निवासियों द्वारा ध्वनि स्तर को कम करने के लिए मांगे गए अवसर को देखते हुए, निवासियों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण-ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के संबंध में ठोस प्रस्ताव देना चाहिए।

अपीलार्थी अपने घरों में पीतल के बर्तनों के निर्माण में लगे हुए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3-पुलिस अधीक्षक ने अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी कर उन्हें अपना व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया क्योंकि पीतल के बर्तन तैयार करने की प्रक्रिया में ध्वनि प्रदूषण हो रहा था जो कि अपीलार्थियों के घरों के आसपास के पड़ोसियों, शिक्षकों और छात्रों को प्रभावित कर रहा था। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी सं. 3 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर कम था और इस प्रकार, नोटिस बिना किसी आधार के था; और उन्हें ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए

उपचारात्मक उपाय करने का अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें प्राधिकारियों के समक्ष विचार हेतु सुझाव रखने की भी अनुमति दी जानी चाहिए ।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि : अपीलार्थियों को एक ठोस प्रस्ताव देने की अनुमति दी जाती है कि कैसे वे दो महीने के भीतर मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव को देखा जायेगा एवं तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और प्राधिकारी व्यवहार्यता पर विचार करेंगे। [पैरा 12 और 13]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4533/2004

सिविल अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ, नागपुर की रिट याचिका संख्या 2898/2003 के निर्णय और आदेश दिनांकित 07.10.2003 से ।

अपीलार्थियों की ओर से अरुण पेडनेकर और नरेश कुमार।

प्रत्यर्थीगण के लिए एम. एन. राव, रवींद्र केशवराव अदसुरे, एस. एस. शिंदे, सत्यजीत ए. देसाई, अनाघा एस. देसाई, अनमोल एन. सूर्यवंशी, विक्रम सलुजा और वेंकटेश्वर राव अनुमोलु।

(जिनके द्वारा निर्णय दिया गया)

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

2. अपीलकर्ता अपने पूर्वजों के समय से भंडारा के निवासी हैं। वे पीतल के बर्तन बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। निर्विवाद रूप से वे अपने-अपने घरों में एक ही व्यवसाय करते हैं।

3. 18.7.2003 पर भंडारा के पुलिस अधीक्षक ने इस निर्देश के साथ नोटिस जारी किए कि अपीलार्थी आदेश प्राप्त होने की तारीख से दो दिनों के भीतर अपना व्यवसाय बंद कर देवे, अन्यथा उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में दिए गए कारण थे कि पीतल के बर्तन तैयार करने की प्रक्रिया में ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है जिससे पड़ोसियों, शिक्षकों और छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो अपीलार्थीगण के घरों के आस-पास रहते हैं। अपीलार्थीगण ने यह दावा किया कि उन्होंने अपना व्यापार अपने घरों के आस-पास के स्कूल के खुलने से पहले किया था और उनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण की कोई शिकायत नहीं की जा सकती। इस आधार पर, पुलिस अधीक्षक के उस आदेश को चुनौती देने के रूप में लिखित याचिका दाखिल की गई। उक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में जवाबी हलफनामा दाखिल किया कि पीतल के बर्तनों के उत्पादन में यांत्रिक शक्ति का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे प्रेसिंग, एम्बॉसिंग, स्पिनिंग, कटिंग और बफ पॉलिशिंग में सुविधा होती है। उपरोक्त गतिविधियों के कारण आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण होता है और यह क्षेत्र सघन एवं घनी आबादी वाला होने के कारण ध्वनि प्रदूषण के अलावा परेशानी का कारण बन रहा है। पुलिस अधीक्षक ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागपुर (संक्षेप में 'बोर्ड') से एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसने यह भी सुझाव दिया था कि क्षेत्र में ध्वनि का स्तर बहुत अधिक है और यह उपद्रव है।

4. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, रिट याचिका को खारिज कर दी गई थी।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर कम था और इसमें मामूली भिन्नता थी और इसलिए, अधीक्षक द्वारा जारी किया गया नोटिस बिना किसी आधार के है।

6. महाराष्ट्र राज्य, बोर्ड और प्रभावित आवेदकों के विद्वान वकील ने आदेश का समर्थन किया।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस मामले में विद्यालय और कुछ स्थानीय निवासियों की ओर से हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किए गए थे। उक्त रिट याचिका का निपटारा पक्षकारों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने-अपने पक्ष के समर्थन में सामग्री रखने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कर दिया गया था। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (संक्षेप में 'नियम') को धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ii), उप-धारा (1) और खंड (b) और धारा 6 की उप-धारा (2) और धारा 25 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में 'पर्यावरण अधिनियम') सपठित पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 (संक्षेप में 'पर्यावरण नियम') के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

8. नियमों के नियम 3, 4 और 6 इस प्रकार हैं:

“(3) विभिन्न क्षेत्रों/भागों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक:

1) विभिन्न क्षेत्रों/भागों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक ऐसे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

2) राज्य सरकार इन क्षेत्रों को ध्वनि मानकों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या मौन क्षेत्र/भाग में वर्गीकृत कर सकती है।

3) राज्य सरकार वाहनों की आवाजाही से निकलने वाले शोर सहित ध्वनि को कम करने के लिए उपाय करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा ध्वनि का स्तर इन नियमों के तहत निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक नहीं हो ।

4) सभी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित प्राधिकारी विकासात्मक गतिविधि की योजना बनाते समय या कार्य करते समय नगर और देश नियोजन से संबंधित ध्वनि प्रदूषण के सभी पहलुओं को जीवन की गुणवत्ता के एक मापदंड के रूप में ध्यान में रखा जाएगा ताकि ध्वनि के खतरे से बचा जा सके और ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

5) अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र, इन नियमों के उद्देश्य से मौन क्षेत्र/भाग घोषित किया जा सकता है ।

(4) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी:

1) किसी भी क्षेत्र/भाग में ध्वनि का स्तर, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट ध्वनि के संबंध में गुणवत्ता मानक तय है के, परिवेशी वायु से अधिक नहीं होगा।

2) प्राधिकरण ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उचित अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) मौन क्षेत्र/भाग में किसी भी उल्लंघन के परिणाम:

जो कोई भी, क्षेत्र/भाग के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्थान पर, निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी कार्य करता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) जो कोई भी, कोई संगीत बजाता है या किसी ध्वनि प्रवर्धक का उपयोग करता है,

(ii) जो कोई भी ढोल, टॉम-टॉम या हॉर्न बजाता है, चाहे संगीतमय हो या दबाव युक्त, या तुरह या ताल या कोई वाद्ययंत्र बजाता है,

(iii) जो कोई भी, भीड़ आकर्षित करने के लिए किसी अनुकरणात्मक, संगीतिक या अन्य प्रदर्शन का प्रदर्शन करता है।

9. भारत के राजपत्र में: असाधारण (भाग II) के रूप में इस प्रकार से अधिसूचित किया गया है:

ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक।

क्षेत्र कोड	क्षेत्र/भाग की श्रेणी	डीबी (ए) एक्विवलेंट कंटीन्यूअस लेवल में सीमा	
		दिन का समय	रात का समय
A	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
B	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
C	आवासीय क्षेत्र	55	45
D	मौन क्षेत्र	50	40

ध्यान दें:

1. दिन का समय सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक होगा
2. रात का समय रात्रि 10.00 से सुबह 6 बजे तक होगा।
3. मौन क्षेत्र को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर से कम के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र को मौन क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित चार श्रेणियाँ में से एक को मिश्रित श्रेणि को घोषित किया जा सकता है।

*.डीबी (ए) एक्विवलेंट कंटिन्यूअस लेवल ध्वनि के स्तर को पैमाने 'ए' पर डेसिबल में जो मानव श्रवण से संबंधित है, के औसत समय को दर्शाता है।

डेसिबल एक इकाई है जिसमें ध्वनि को मापा जाता है।

डीबी (ए) एक्विवलेंट कंटिन्यूअस लेवल में 'ए' शब्द, ध्वनि के मापन में आवृत्ति भार को दर्शाता है और मानव की सुनने की आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं के साथ मेल खाता है।

"लेवल यह एक निर्दिष्ट अवधि में ध्वनि स्तर का एक ऊर्जा माध्यम है।"

10. महाराष्ट्र सरकार ने भी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को संगीत या ध्वनि की सततता को निषेधित करने का अधिकार प्रदान किया है, और इस अधिकार में व्यापार, व्यवसाय या प्रक्रिया के किसी भी स्थल पर ध्वनि के साथ होने वाले या साथ आने वाले कार्य को रोकने, निषेधन, नियंत्रण या विनियमन करने का शामिल है, जिसके साथ ध्वनि हो।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तावित किया कि उन्हें ध्वनि स्तर को कम करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए और उपायात्मक कदम उठाए जा सकते हैं और इस संबंध में सुझावों को प्राधिकारियों के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12. इन परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थियों को एक ठोस प्रस्ताव देने की अनुमति दी जाती है कि कैसे वे दो महीने के भीतर मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एवं तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

13. अपीलार्थी, यदि इस प्रकार सलाह दी जाती है, और जैसा कि प्रतिवाद किया गया है, प्राधिकारियों के समक्ष वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। इस तरह के अनुरोध की व्यवहार्यता पर अधिकारियों द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

14. तीन महीने के लिए, इस न्यायालय द्वारा 15.12.2003 को जारी की गई अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। यह अंतरिम संरक्षण देने से यह नहीं माना जाएगा कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।

15. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार गजरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।